2019/00511

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

युसूफ अली बनाम भंवरु रेवा

किस्म मुकदमा [illegible] मु. नं. 124 / वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24-12-19	अपील दर्ज रजिस्टर हो। मियाद का बिन्दु रिजर्व रखा। रेस्पो० के नोटिस जारी हो तहत का रिकार्ड तलब कर दिनांक 27-1-20 को पेश हो। [signature] भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुंझुनू)	पत्रांक 9638 दि. 24.12.19 के द्वारा जारी एवं पत्रांक 9639-62 दि. 24.12.19 के नोटिस जारी
27-1-20	वकील अपीलान्ट उप० / रेस्पो० संख्या 1 से 4 की ओर से श्री विजयपालसिंह एड ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पो० संख्या 10 से 12, 16 से 21, 23, 24 के नोटिस पुन: पेश करे। पेश करने पर जारी हो। तहत का रेकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 27-2-20 को पेश हो। [signature]	1.e. पत्रांक 10217 संलग्न की गई
27-2-20	वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० सं० 16 से 21 के नोटिस बाद तामील प्राप्त। रेस्पो० सं० 10 से 13 के नोटिस पेश हो। पेश होने पर जारी कर दिनांक 13-3-20 को पेश हो। [signature]	
13-3-20	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। [illegible] आज्ञानुसार दिनांक 30-3-20 को पेश हो। [signature]	
30-3-20	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रेस्पो० उपस्थित पीठासीन अधिकारी [illegible] कोरोना वायरस पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 13-5-20 को पेश हो। [signature]	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13.5.20	DUE TO LOCKDOWN FILE PUT ON DATE AT 8.7.20 READER	
8.7.20	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30.9.20 को पेश हो।	
24-9-20	पत्रावली अपीलांट के प्रा० पत्र पर तलब की गई। रेस्पो० सं० 10 से 12 की ओर से श्री कंचन सिंह चौधरी एड. ने पूर्व में वकालतनामा पेश किया। रेस्पो० सं० 13 का नोटिस आई पर तामील है। अपीलांट एवं रेस्पो० के वकील ने प्रा० पत्र को स्वीकार करते हुये अपील की बहस की। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 30-9-20 को पेश हो। [signature]	[signatures]

24/2019 कुसुम V/S अंवरन खां (1)

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30-9-20	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत। अपील में शीघ्र सुनवाई प्रा० पत्र पेश होने पर प्रा० पत्र पर वकील रेस्पोडेन्ट Noted होते हुऐ अपील में बहस की गई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी। रेस्पो० सं०-1 से 4 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा व स्थाई हुक्मइम्तनाई दवामी का पेश किया तथा निवेदन किया कि जुमर्दी खां की खातेदारी की भूमि ख०नं० 2 रकबा 1.65 हैक्टर, ख०नं०-3 रकबा 4.24 हैक्टर ग्राम दीपलवास तहसील झुन्झुनू में स्थित है। जुमर्दी खां के इन्तकाल के बाद उत्तराधिकार में उक्त भूमि में 1/4 हि० नूर खां, 1/4 ठाकुर खां पुत्रो को तथा मु० फैजान बानो, आसिया बानो प्रत्येक को 1/4 हिस्से की भूमि प्राप्त हुई। उक्त आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर वादी सं०-1 से 3, व वादी सं० 4 रसीद खां उक्त आसिया बानो का पुत्र होने से है। 1/4 हि० के प्रतिवादी सं०-1 से 10 संयुक्त रूप से तथा 1/4 हिस्से के प्रतिवादी सं० 11 से 19 है। दावा स्वीकार कर खाता अलग अलग किया जावे। अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।	

[signature]

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। उक्त विवादित भूमि नूरा उर्फ नूरखां पुत्र जुमदीखा का 1/2 हिस्सा था। उक्त नूरा का देहान्त होने के बाद उसके पांचो पुत्रो को संयुक्त रूप से बाँहिस्सा प्राप्त हुई। नूरा की पुत्रियो ने अपने हक हिस्से का हक त्याग अपने पांचो भाईयो के हक में हक त्याग कर दिया। इस प्रकार अपीलांट के हिस्से में 1/10 हिस्सा है, जिस पर वह काबिज काश्तकार है। अदालत मातहत में अपीलांट/प्रतिवादी सं० 4 दर्ज है जिसकी तामिल OSR-17 से 20 CPC के प्रावधानो के मुताबिक नहीं करवाई गई तथा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना न कर अपना आदेश पारित किया है। अपीलांट का नोटिस अदालत मातहत ने जारी किया जिस पर तामिल कुनिन्दा ने लिखा मुसूफ अली घर पर मौजूद नहीं मिला, घरवालो ने नोटिस लेने से इन्कार किया। नोटिस की प्रति इनके ~~खिलाफ~~ खुले मकान पर चस्पा किया। जिस पर एक गवाह बाबू पुत्र सफी मोहम्मद के हस्ताक्षर करवाये हैं। तथा रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजना बताया जो अपीलांट को कभी नहीं मिला। अदालत मातहत ने अपीलांट की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने का आदेश है जो अपीलांट को कभी नहीं	

[signature]

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	मिला। अदालत मातहत ने अपीलांट की तामील विधि विरूद्ध मानकर आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर अपीलांट को सुनवाई एंव जबाव देही का अवसर दिया जावे के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।	
	अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।	
	विद्वान वकील अपीलांट ने बहस मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट की तामील सम्यक रूप से नहीं हुई। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।	
	विद्वान वकील रेस्पो०/वादीगण ने बहस में बताया की अपीलांट की तामील विधिनुसार करवाई है। अपीलांट को साधारण नोटिस जारी किया गया, जिसको अपीलांट के परिवार वालो ने लेने से मना किया, जिस पर नोटिस की एक प्रति अपीलांट के रहने मकान पर चस्पा की गई	

[signature]

दिनांक	आज्ञा पत्र	

जिससे दावे की जानकारी अपीलांट को
हो गई। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक
से नोटिस भेजकर तामील करवाई
गई। इस प्रकार अपीलांट को दावे
की शुरू से जानकारी रही है। अपीलांट
जानबूझ कर अदालत मातहत में
हाजिर नहीं हुये। अदालत मातहत
में प्रतिवादीगण इनके ही परिवार के
हैं। इस कारण अपीलांट का यह
कहना गलत है कि दावे की जानकारी
नहीं रही। अपीलांट को दावे की
जानकारी रही है। अपीलांट ने
अदालत मातहत के निर्णय में कोई
विधिक भूल रही हो ऐसा भी तो
अपील में कहा और ना ही बहस में
कहा है। अदालत मातहत का निर्णय
विधिनुसार उचित है। जिसमें किसी
प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता
नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज
की जावे।

बहस बगैर विद्वान अभिभाषक-
-गण समाप्त की गई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। अदालत मातहत
में दावा दि० 14-7-2017 को दर्ज होकर
प्रतिवादीगण को तलबी जारी होने के
आदेश हुये। इसके बाद अगली 6
तारीख पेशी पीठासीन अधिकारी
अवकाश व भ्रमण पर होने से
पड़ी। इसके बाद दि० 26-2-18 को
प्रतिवादी सं० 11 व 12 का वकालतनामा
पेश हुआ तथा प्रतिवादी सं० 13, 14, 15
व 16 का वकालतनामा आइन्दा पेश
करने के लिये तथा प्रतिवादी सं० 11
व 12 के जवाब दावा पेश करने
के लिये तारीख 9-3-18 दी गई।
इसके बाद आगामी 5 पेशी पीठासीन

124/2019 युसुफ — मेवरू खां

(3)

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अधिकारी क्रमश/अवकाश पर होने से पड़ी। दिनांक 13-11-18 को लिखा कि वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादीगण की तामिल दो बार करवाये जाने के बावजूद भी ना तो जवाब दावा पेश किया ना ही न्यायालय में उपस्थित आये। इनका जवाब दावा बन्द करने व एक पक्षीय कार्यवाही करने का निवेदन किया। इसी आदेशिका में लिखा कि सभी प्रतिवादीगण की तामिल जरिये डाक करवाई गई। जिनकी रसीदें व रजिस्टर्ड एडी संलग्न है। एक माह का समय हो गया। प्रतिवादी से 1 से 10 वा 12 से 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्ट/प्रतिवादी सं०-4 की तामिल साधारण नोटिस जो 23/8/17 को लिये जारी हुआ उस की पुश्त पर तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट की "4 प्रार्थी घर पर मौजूद नहीं मिला परिवार वालों ने लेने से इन्कार किया। नोटिस की एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा किया।" जिस पर एक गवाह बाबू S/O सफी मोहम्मद के हस्ताक्षर है। जो आदेश -5 नियम -17 CPC के अनुसार तामिल प्रमाप्त नहीं है। रजिस्टर्ड लिफाफा ए०डी० सहित वापस लौटकर आया जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलार्ट के अलावा 8 रजिस्टर्ड पत्र ए०डी० सहित संलग्न है। अर्थात अपीलार्ट की तामिल प्रमाप्त रूप से नहीं हुई। अपीलार्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अदालत मातहत का निर्णय	

पढे/

दिनांक	न्याय के आज्ञा पत्र	
	प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते तथा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाना उचित मानते है। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय एवं डिक्री दि0 15-2-2019 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुन: पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 26-11-2020 को उपस्थित होवें। निर्णय सुनाया गया। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कलिवस	